न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम
<u>अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, मोहनियाँ, कैमूर।</u>

<u>मोहनियाँ थाना कांड संख्या – 99 / 2024</u>

(निबंधन संख्या – 639 / 2025)

<u>सरकार बनाम् प्रेम कुमार</u>

<u>30.07.2026</u> अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में अनुसंधानकर्त्ता ने अनुसंधानोपरान्त घटना को तथ्य की भूल दर्शाते हुये अन्तिम प्रपत्र संख्या–353/2024 दिनांक 31.07.2024 धारा 365 भा0द0वि0 के अन्तर्गत समर्पित किया गया है।

विद्वान अनुमण्डलीय अभियोजन पदाधिकारी को सुना।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद में न्यायालय द्वारा सूचिका को नोटिस निर्गत किया गया था। नोटिस निर्गत के पश्चात् सूचक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है एवं सूचक द्वारा कोई विरोध पत्र दाखिल नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि इस वाद में सूचक की कोई रूचि शेष नहीं है। अतः अनुसंधानकर्त्ता द्वारा दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के आलोक में अंतिम प्रपत्र **<u>स्वीकृत</u>** किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

ह0/–

(डा0 आलोक रंजन)

अपर मुख्य न्यायिक दण्डा0–प्रथम,

मोहनियाँ, कैमूर।